जल संसाधन और उनके शई हुक्म

मौजूदा दौर में पैदा होने वाली समस्याओं के हल के लिए स्थापित संस्था इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया का बीसवाँ इन्टरनेशनल फ़िक्ही सेमिनार प्रसिद्ध इतिहासिक शहर रामपूर में दिनांक 5-7 मार्च 2011 ई0 आयोजित हुआ, इस सेमिनार में दूसरे मुद्दों के साथ जल संसाधन के बारे में भी बहस की गयी और आम सहमति से निम्न प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

जल अल्लाह तआला की एक बडी नेमत है। यह इनसान की मौलिक ज़रूरतों में से है इस लिए अल्लाह ने इसके बारे में बहुत से निर्देश दिए, अतः इसकी क़द्र की जाए और इसका ध्यान रखते हुए इसके बेजा ख़र्च की मनाही कर दी गयी। और इसे दूषित करने से सख़्ती से मना कर दिया गया है और चूंकि सभी को इसकी ज़रूरत पडती है इस लिए इसमें किसी की ठेकेदारी नहीं मानी गई, न ही इसको जमा करने की अनुमति दी गयी जो किसी को इससे वंचित करने का कारण हो।

1- जिन कामों में पानी इस्तेमाल करने की अनुमति है उनमें बिना ज़रूरत या ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल करना बेजा ख़र्च है।

2- वक़्फ़ हुए जल में बेजा ख़र्च करना हराम होगा और यदि किसी का निजी व मुबाह जल है तो उसमें मकरूह होगा।

3- शरीअत ने जल को केवल पवित्र रखने के ही निर्देश नहीं दिए हैं बल्कि पानी को दूषित वातावरण से बचाने के लिए भी शरीअत ने अनेक निर्देश दिए हैं, अतः यह भी ज़रूरी है।

4- पानी की कमी को देखते हुए यदि सरकारें जन कल्याण के लिए पानी के कुछ इस्तेमाल किए जाने पर पाबन्दी लगाती हैं तो यह ठीक है और इसपर अमल आवश्यक है बशर्ते कि यह पाबन्दी किसी शरई या भौतिक ज़रूरत को पूरा करने में रुकावट न हो।

5- निजी ज़मीन के नीचे पानी असल मुबाह है किसी की संपत्ति नहीं आवश्यकता होने पर जन साधरण की ज़रूरत को देखते हुए सरकार बोरिंग कराने पर रोक लगा सकती है।

6- पानी की सुरक्षा और उसको जमा करना मूलतः सरकार की ज़िम्मेदारी है इसके बावजूद लोगों पर भी इसकी ज़िम्मेदारी डाली जा सकती है कि ज़मीन के नीचे वाले पानी की ठीक सतह पर रखने के लिए उचित तदबीर करें और सहयोग करें।

7- ज़रूरत पडने पर जन कल्याण के लिए डैम निर्माण करने के लिए आबादी हटायी जा सकती है बशर्ते कि इसके लिए तुरन्त सही बदला दिया जाए जो लोगों के लिए आफ़ात व दुर्घटना की क्षतिपूर्ति और पुनर्निर्माण के लिए काफ़ी हो सकें।

8- यह ज़रूरी है कि बाढ के अवसर पर ऊपरी और निचली दोनों आबादियों की सुरक्षा का ध्यान रखा

जाए और यथा संभव वह रास्ता अपनाया जाए जिससे कम से कम हानि हो।

9- अपनी वैध ज़रूरतों को पूरा करना बिना दूसरों को कष्ट पहुँचाए उचित है।

10- नहरों से लाभ उठाना ज़रूरत भर जायज़ है बशर्ते कि इससे नहरों और दूसरे लोगों को हानि न हो।

11- वे तमाम सूरतें जिनमें पानी को किसी छोटे बड़े बर्तन या चीज़ में इरादे के साथ सुरक्षित कर लिया जाए। मिल्कियत साबित हो जाती है अलबत्ता पानी को निजी बनाने के लिए ऐसी शक्ल न अपनायी जाए, जिससे जनता को हानि हो।

12- पानी पर मिल्कियत हासिल होने वाली तमाम शक्लें, पानी की तिजारत जायज़ है जबकि जन कल्याण को होने वाला लाभ प्रभावित न हो अतः सार्वजनिक नलों और पानी के भंडारों से अपने हक़ से अधिक लेकर और दूसरों को उनके अधिकार से वंचित करके उस पानी को बेचना जायज़ नहीं है।

13- ढलान वाले इलाक़ों में प्लाटिंग करके उन्हें बेचना और आबादियां बसाना जबकि जन सामान्य को हानि होती हो उचित नहीं, चाहे सरकार की ओर से मनाहीं हो या न हो।

14- हर नागरिक को पानी की पूर्ति सरकार की ज़िम्मेदारीयों में से है वह इसपर उचित मुआवज़ा भी ले सकती है और मुआवज़ा पर शक्ति रखने वालों से रक़म न अदा करने की सूरत में पानी रोक लेने का हक़ रखती है।

15- पानी की निकासी का प्रबन्ध करना और नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है और जनता का कर्तव्य है कि वह सरकार की ऐसी व्यवस्था व क़ानूनों का आदर सम्मान और सहयोग करे।

☆☆☆